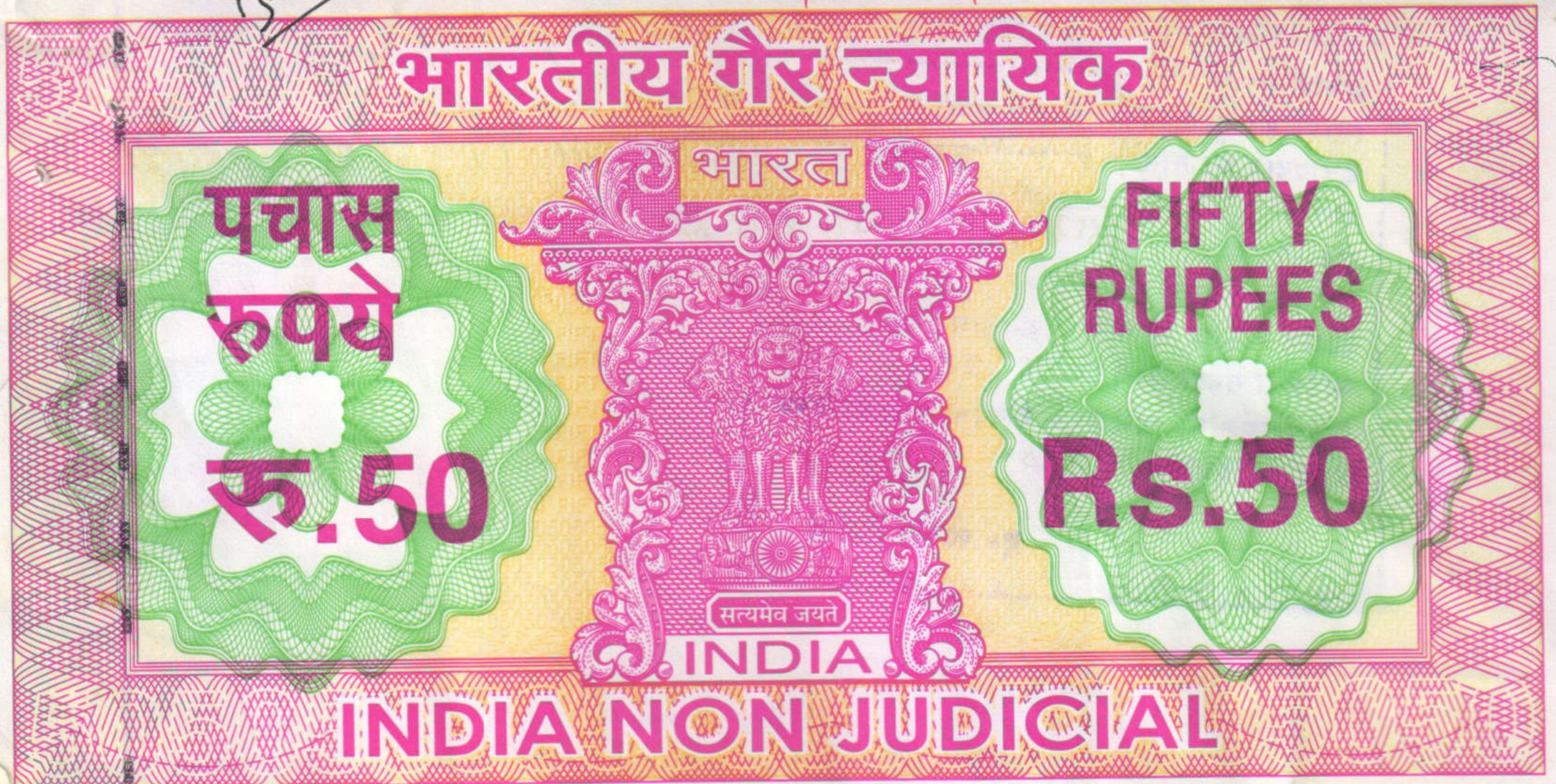




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 973501



विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): निम्न भूमि में कृषि कार्य हो रहा है परन्तु भूमि डवलपर कम्पनी द्वारा क्रय की जा रही है तथा निम्न भूमि के आस पास 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधियां संचालित होने के कारण 90,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर पर मूल्यांकन किया गया है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक/2-2 चतुर्थ खण्ड
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 90,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 57,89,000/- रुपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 57,88,350/- रुपये
6. विक्रित भूमि स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) कृषि भूमि खसरा नम्बर 1394, 1396, 1397

Seen

2.1.1

28/11/22

28/11/22

28/11/22

क्रमांक 1

स्टाम्प का मूल्य: अंकन 80

खरीददार का नाम: मेरठ दूध डिलीवरी

पता: पल्लवपुरा रा. सरधना मेरठ द्वारा जितेंद्र कुमार

लेखन का प्रकार: एच.एम.

एवं स्टाम्प सेचने का प्रयोजन: वैधानिक

स्टाम्प विक्रेता का नाम: अरुण शर्मा

बाईसेन्स संख्या: S.R.D./28/9-10

विक्रय स्थल का नाम: सह. समिति, सरधना मेरठ

विक्रय का दिनांक: 25/7/13

अवनीश

ह. स्टाम्प विक्रेता



सुनील पाठक

दस्तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)



सुनील पाठक

दस्तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)



सुनील पाठक

दस्तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 973502

8. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर): हैक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.5815 हैक्टेयर
10. नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र: अर्द्धनगरीय क्षेत्र
11. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं
12. बोरिंग/कुआ/अन्य: लागू नहीं
13. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग खसरा नम्बर 1394, 1397 लिंक मार्ग पर स्थित होने के कारण 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यांकन किया गया है।
14. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है: नहीं
15. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 4,05,300/- रुपये जिसमें से अंकन 4,05,200/- रुपये का स्टाम्प इकरारनामा दिनांक 5.09.2012 के साथ संलग्न कर अदा किया जा चुका है अतः इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न स्टाम्प अंकन 200/- रुपये।
16. इकरारनामा कार्यालय उप निबन्धक सरधना पर बही संख्या 1 जिल्द 4579 के पृष्ठ 311/350 में क्रम संख्या 13348 पर दर्ज रजिस्टर है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 201487

विवरण विक्रित भूमि:

भूमिधारी भूमि खाता संख्या 00206 के खसरा नम्बर 1394 (एक हजार तीन सौ चौरानवे) रकबा 0.4050 है० (शून्य दशमलव चार शून्य पांच शून्य हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 1396 (एक हजार तीन सौ छियानवे) रकबा 0.3410 है० (शून्य दशमलव तीन चार एक शून्य हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 1397 (एक हजार तीन सौ सतानवे) रकबा 0.4170 है० (शून्य दशमलव चार एक सात शून्य हैक्टेयर) कुल तीन नम्बर कुल रकबा 1.1630 हैक्टैयर में अपने समस्त 1/2 भाग की भूमि 0.5815 हैक्टैयर (शून्य दशमलव पांच आठ एक पांच हैक्टैयर) लगान 27.70 रुपये सालाना स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

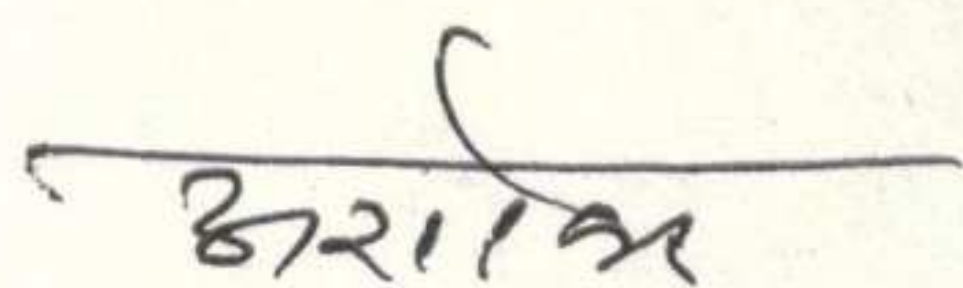
पक्षकार अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं हैं।

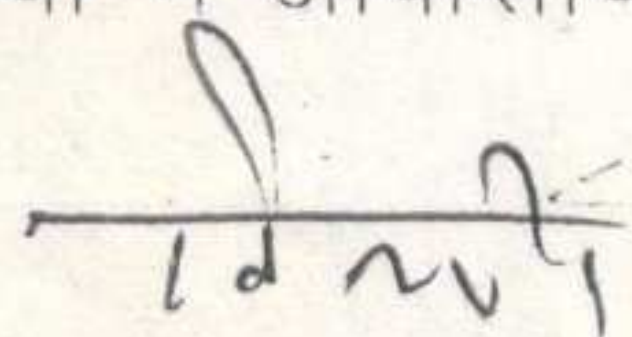
विक्रेता प्रथम पक्ष दृष्टिविहीन/विकलांग व्यक्ति नहीं है।

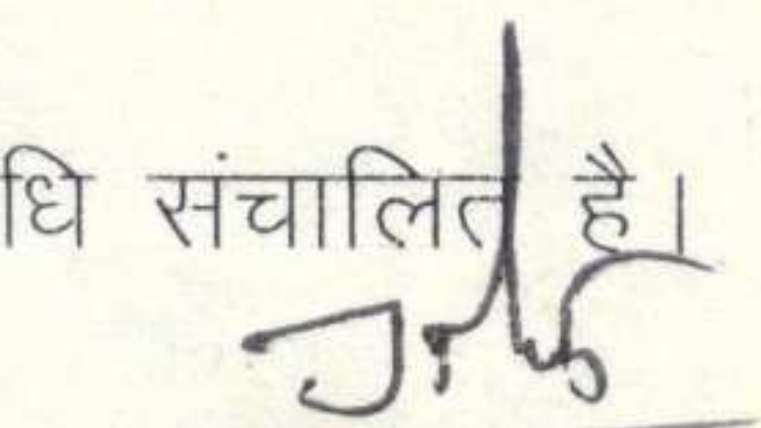
विक्रित सम्पत्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति हैं।

पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।

निम्न भूमि के 200 वर्ग मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि संचालित है।











उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 201488

विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

क्रेता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास क्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12.1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

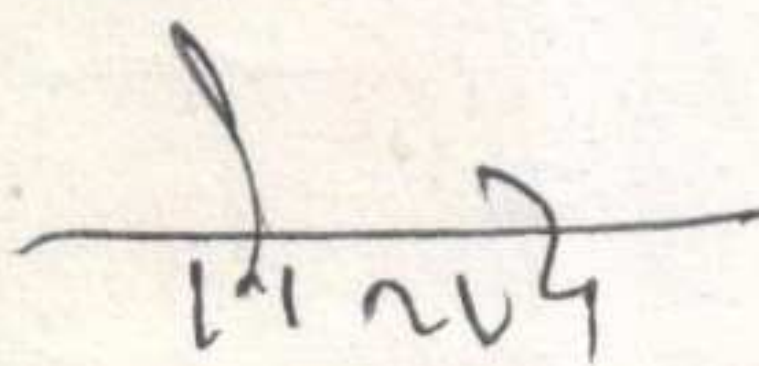
विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समांज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

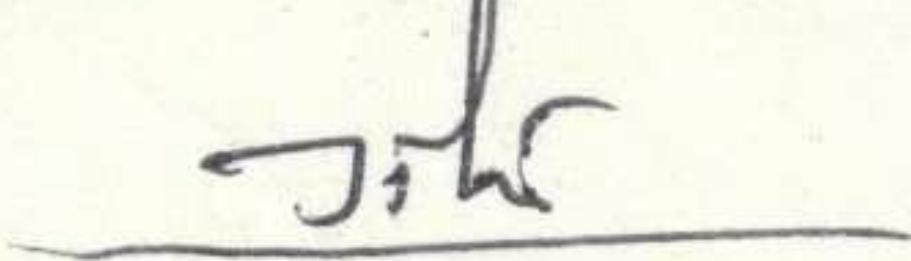
हम कि अशोक कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ ..विक्रेता/प्रथम पक्ष

एवं

मैसर्स ए-टू-जैड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रजिस्टर्ड आफिस के-6, पल्लवपुरम फेज द्वितीय, तहसील सरधना, जिला मेरठ (PAN-AANFA5223C), द्वारा लायरेक्टर्स/पार्टनर्स श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159-शास्त्री कालोनी, निकट आर्य नगर कंकरखेड़ा, मेरठ तहसील व जिला मेरठ व जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी के-6 पल्लवपुरम कालोनी फेज-द्वितीय, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ .. क्रेता/द्वितीय पक्ष


8/2/14


14/2/14





निवासी के 6 पल्लवपुरम 2 मेरठ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 201489

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रथम पक्ष के स्वामित्व की है और प्रथम पक्ष को बहैसियत होने पूर्ण स्वामी भूमिधरी उक्त को विक्रय करने के पूर्णतः अधिकार प्राप्त हैं कि जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भार, दोष वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने में हर प्रकार से लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में भूमिधरी विक्रित उक्त को मय समस्त अधिकार स्वामित्व अधिपत्य आदि सहित बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र इस दरस्तावेज में किया गया हो अथवा न किया गया हो बदले अंकन 57,89,000 /— सत्तावन लाख नवासी हजार रुपये कि आधे जिसके अंकन 28,94,500 /— अठाईस लाख चौरानवे हजार पांच सौ रुपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स ए-टू-जैड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रजिस्टर्ड आफिस के-6, पल्लवपुरम फेज द्वितीय, तहसील सरधना, जिला मेरठ द्वारा डायरेक्टर्स/पार्टनर्स श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159-शास्त्री कालोनी, निकट आर्य नगर कंकरखेड़ा, मेरठ तहसील व जिला मेरठ व जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी के-6 पल्लवपुरम कालोनी फेज-द्वितीय, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ को विक्रय कर दी और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त करके विक्रित भूमिधरी उक्त को अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष के स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधरी विक्रित उक्त का मौके पर

उत्तर प्रदेश

12/12/14

जिल्हा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 201490

खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधरी विक्रित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ और यह विक्रय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधरी विक्रित उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहैसियत मालिक दर्ज करा लें। नाम दर्ज कराने में जहां कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उस में प्रथम पक्ष को कुछ उज्र व एतराज न होगा तथा आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधरी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस पर कोई ऋण या भार पाया जावे तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा बैनामा मय ब्याज मय वाद व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे, जिसमें प्रथम पक्ष व

उत्तराधिकारी

12/1/14

12/1/14





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AA 201491

प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य:

1. अंकन 12,43,500 / - रुपये द्वारा इकरारनामा उक्त।
2. अंकन 15,15,167 / - रुपये चैक नम्बर 514568 दिनांकित 24.07.2013 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मोदीपुरम मेरठ
3. अंकन 15,15,167 / - रुपये चैक नम्बर 514569 दिनांकित 24.07.2013 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मोदीपुरम मेरठ
4. अंकन 15,15,166 / - रुपये चैक नम्बर 514571 दिनांकित 24.07.2013 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मोदीपुरम मेरठ

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से कुल अंकन 57,89,000 / - रुपये प्राप्त किये।

दिनांक: 25.07.2013 (पच्चीस जौलाई सन दो हजार तेरह ई०)

प्राप्ति सुनील पाठक, दस्तावेज लेखक, सरधना (मेरठ)

सुनील पाठक
दस्तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)

अक्षय

अक्षय

अक्षय

रामकुमार/संतकुमार
मेरठ मिश्र/मानव संसाधन

सुनील पाठक
सुनील पाठक
मेरठ 16/7/2013

7 25/2/15 25
... 1 ...
...
...
...
...

क्रेता

Registration No. : 12149

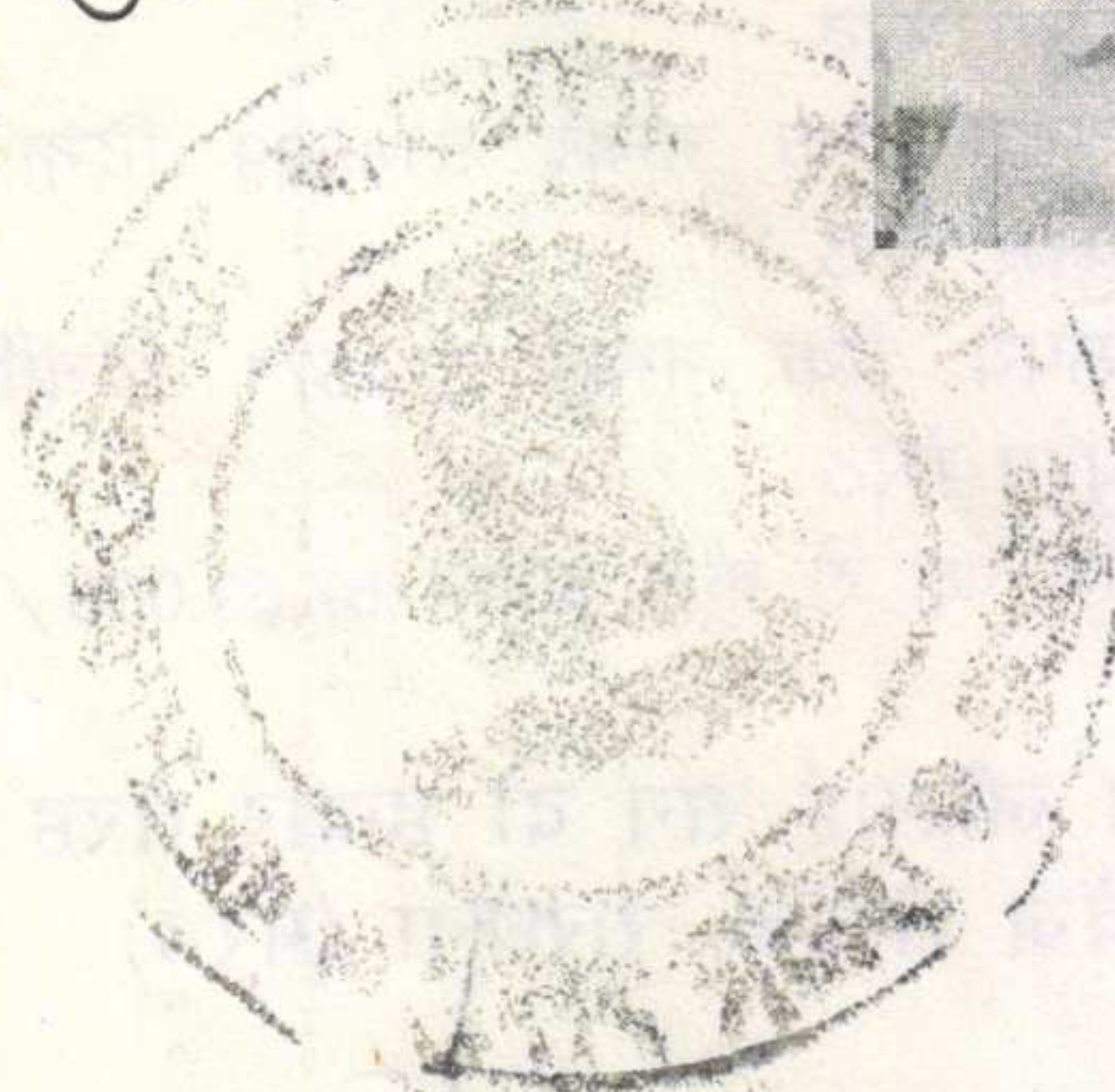
Year : 2,013

Book No. : 1

0201 मै0एटूजैडवि0एण्डडव0द्वारा विनोद कुमार
बलवीर सिंह
159 शास्त्री कालोनी निकट आर्यनगर कंकरखेडा मेरठ
व्यापार



0202 मै0एटूजैडवि0एण्डडव0द्वारा जितेन्द्र कुमार
रघुवीर सिंह
के 6 पल्लवपुरम 2 मेरठ
व्यापार



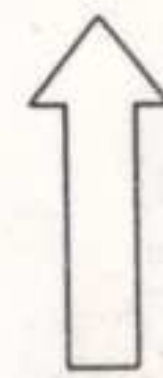
नजरी नक्शा (Not to be scaled)

क्षेत्र निर्णय

क्षेत्र
दीर्घ

लगभग 200 मीटर

क्षेत्र निर्णय



लिक्ने मार्ग

विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग / जनपदीय मार्ग / लिंक मार्ग / चकमार्ग क्षेत्र निर्णय क्षेत्र 20
2. बाग / नर्सरी
3. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन
4. शैक्षिक संस्थान / धर्मार्थ संस्थान / स्वास्थ्य केन्द्र
5. औद्योगिक संस्थान / कोल्ड स्टोरेज
6. गैस गोदाम / पेट्रोल पम्प / नलकूप
7. होटल / रेस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र
8. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय
9. अन्य

घोषणा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है।
उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर



2070 13348/12

महापौर का पत्र
जामा 4052001
महापौर का पत्र 5789000
महापौर का पत्र 200
405400

12149
25/7/13

इस लक्ष्य में आशंकित हो जाते हैं कि
विक्रय के उद्देश्य से व्यवहार के माध्यम से
हो वानों प्रलेखों (इकरनामा महापौर
का तथा विक्रय पत्र) निष्काशित है।
पूर्व निर्धारित प्रलेख पर दिया गया स्टाम्प
हुल्क मुजरा करने का निर्णय भारतीय
स्टाम्प अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत
अप्रतिष्ठित कथित किया।

म. प. महापौर का पत्र

25/7/13

आज दिनांक 25/07/2013 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 5262

पृष्ठ सं. 215 से 230 पर क्रमांक 12149

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रेम कुमार

उप निबन्धक सरधना

25/7/2013